

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 591]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2025 — श्रावण 8, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2025

आदेश

ESTB/5071/2025-HOME SECTION.— राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) की धारा 265 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप धारा (2) के द्वितीय परंतुक तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर जिला कोरिया बैकुंठपुर एवं उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिला कलेक्टोरेट, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद पंचायत तथा अन्य कार्यालयों में संचालित निम्नलिखित विडियो कांफ्रेंसिंग कक्षों को निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है अर्थात्:—

क्रमांक	स्थान	वीडियो कांफ्रेंसिंग संचालित कार्यालय का नाम
1	कोरिया	कार्यालय कलेक्टर
2	कोरिया	कार्यालय पुलिस अधीक्षक
3	बैकुंठपुर	कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
4	बैकुंठपुर	कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी
5	बैकुंठपुर	कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी
6	बैकुंठपुर	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
7	बैकुंठपुर	उप पुलिस अधीक्षक (अजाक)
8	बैकुंठपुर	उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरुद्ध अनवेषण)
9	बैकुंठपुर	तहसीलदार
10	सोनहत	तहसीलदार
11	पटना	तहसीलदार
12	बचरा पोड़ी	तहसीलदार
13	बैकुंठपुर	जिला जेल
14	बैकुंठपुर	पुलिस थाना
15	बैकुंठपुर	पुलिस थाना अजाक
16	पटना	पुलिस थाना
17	चरचा	पुलिस थाना
18	सोनहत	पुलिस थाना

19	सोनहत	पुलिस चौकी रामगढ़
20	बैकुंठपुर	पुलिस चौकी बचरा पोड़ी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.